2010 का विधेयक सं. 20

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

2010 **का विधेयक संख्या** 20

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 1982 **के राजस्थान अधिनियम सं** 25 **की धारा** 31 **का संशोधन.-**जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं 25), ज़िसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 31 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न"।"के स्थान पर विराम चिह्न":"प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पंद्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।";

(ग) उप-धारा (2) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न"।" के स्थान पर विराम चिह्न":"प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(घ) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पंद्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।"।

3. 1982 **क़े राजस्थान अधिनियम सं** 25 **क़ी धारा** 32 **का संशोधन.-**मूल अधिनियम की धारा 32 में,-

(क) उप-धारा (7) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ख) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पंद्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।"।

4. 1982 **के राजस्थान अधिनियम सं** 25 **क़ी धारा** 33 **का संशोधन-**मूल अधिनियम की धारा 33 में,-

(क) उप-धारा (2) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जावेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" के

स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे साधारण कारावास से, जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(ii) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ख) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पंद्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।"।

5. 1982 **के राजस्थान अधिनियम सं** 25 **में नयी धारा** 34-**क का अन्त:स्थापन.-**मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 34 के पश्चात् और विद्यमान धारा 35 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

" 34-क अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति-(1) प्राधिकरण, धारा 32 या धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी भी विकास को हटाने या बन्द करने के लिए आदेश देने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे विकास की प्रकृति और विस्तार के बारे में किसी भी विवाद का निवारण करने के लिए ऐसे विकास को विहित रीति से सील किये जाने का निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा।

(2) जहां किसी विकास को सील कर दिया गया हो, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे विकास को हटाने या बन्द करने

के प्रयोजन के लिए उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को निम्नलिखित के सिवाय नहीं हटायेगा,-

(क) उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश के अधीन; या

(ख) अधिकरण के किसी आदेश के अधीन।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।"।

6. 1982 **क़े राजस्थान अधिनियम सं** 25 **में धारा** 37-**क और** 37-**ख का जोड़ा जाना.-**मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 37 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"37-**क वर्षा जल संग्रहण का उपबंध.-**(1) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं) क़े प्रारंभ के पश्चात् जयपुर क्षेत्र में तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक के भू-खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में, ऐसे प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए विहित की जाये, स्थापित करना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा:

परन्तु यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली की स्थापना करना उचित नहीं है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन विकास के लिए

अपेक्षित कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि स्थल योजना और नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के लिए व्यवस्था न की गयी हो और अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति ऐसी प्रणाली स्थापित करने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली उस भवन में स्थापित कर ली गयी है और वह चालू हालत में है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जयपुर क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय

प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'वर्षा जल संग्रहण प्रणाली' से, छत के ऊपर की संरचना और भूमिगत टैंक को सम्मिलित करते हुए, या तो घरेलू उपयोग के लिए या भूमिगत जल का पुनर्भरण करने के प्रयोजन के लिए भूमि में अंत:स्रवण के लिए, वर्षा जल एकत्र करने हेतु संनिर्मित या स्थापित कोई संरचना या साधित्र, या दोनों अभिप्रेत हैं।

37-**ख पार्किंग स्थान का उपबंध.-**(1) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं.....) के प्रारंभ के पश्चात् जयपुर क्षेत्र में संनिर्मित प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये:

परन्तु राज्य सरकार, भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी भवन या भवनों के वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन विकास के लिए अपेक्षित कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि स्थल योजना और नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान के लिए व्यवस्था न की गयी हो, और अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और

ऐसा भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान उस भवन में उपलब्ध करा दिया गया है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जयपुर क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी, उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।"।

7. 1982 **क़े राजस्थान अधिनियम सं** 25 **क़ी धारा** 72 **का संशोधन.-**मूल अधिनियम की धारा 72 में, -

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक मास" जहां कहीं भी आई हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक वर्ष"; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति" जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा " प्रतिस्थापित की जायेगी;

(घ) उप-धारा (14) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा " प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1982 **क़े राजस्थान अधिनियम सं** 25 **में नयी धारा** 93-**क का अन्त:स्थापन.-**मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 93 के पश्चात् और विद्यमान धारा 94 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"93-**क अभिलेख मंगाने की शक्ति**.-(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या अधिकारी द्वारा पारित या पारित किये गये समझे गये किसी आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा करने में निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिए

कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या संकल्प से संबंधित कोई भी अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और समितियों पर आबद्धकर होगा।"।

———

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जयपुर विकास प्राधिकरण के दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के कतिपय उपबंधों को संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान परिस्थितियों में लोक और प्राईवेट भूमियों के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए इन अपराधों से संबंधित उपबंधों को संशोधित किया जाना अपेक्षित है। अत: विद्यमान धारा 31, 32, 33 और 72 में शास्तियों और दंडों को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। जहां न्यूनतम दण्ड का उपबंध किया गया है वहां न्यायालय को, निर्णय में उल्लेख किये जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से न्यूनतम उपबंधित दण्ड से कम कोई दण्ड अधिरोपित करने के लिए विवेकाधिकार दिया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अप्राधिकृत संनिर्माण अत्यधिक हैं। अप्राधिकृत संनिर्माणों को रोकने के आदेशों के जयपुर विकास प्राधिकरण के, बावजूद, अप्राधिकृत संनिर्माण निरंतर हो रहे हैं। इस समस्या का सामना करने के लिए दो-तरफा नीति अपनायी जानी प्रस्तावित है। तदनुसार, अधिनियम में एक नयी धारा 34-क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है ताकि एक तरफ तो चल रहे अप्राधिकृत संनिर्माणों को बन्द करने के लिए प्राधिकरण को सशक्त किया जाये, और दूसरी तरफ धारा 31 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि विद्यमान दंड में वृद्धि की जाये।

राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य में लगातार कम वर्षा होने के कारण जल की कमी है। इसलिए भू-जल स्तर अत्यधिक रूप से कम हो गया है। अत: जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करके वर्षा जल के संग्रहण के लिए उपायों को अपनाना आवश्यक है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में, उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित की जानी चाहिए। किसी ऐसे विशिष्ट क्षेत्र, जो उस क्षेत्र के भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की राय में ऐसी जल संग्रहण प्रणाली के लिए समुचित नहीं है, को जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करने से छूट

देने के लिए, राज्य सरकार को सशक्त करना भी समुचित समझा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रणाली स्थापित करने में विफल रहता है तो वह ऐसे साधारण कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तावित है कि पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना और ऐसी प्रणाली स्थापित किये बिना कोई भी स्थायी जल-संबंध अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तदनुसार अधिनियम में एक नयी धारा 37-क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

भवन में अपेक्षित पार्किंग स्थान की व्यवस्था नहीं करना भवनों के स्वामियों की सामान्य प्रवृत्ति है। इसलिए यह प्रस्तावित है कि जब तक स्थल योजना और नक्शों में पार्किंग स्थान की व्यवस्था न की गयी हो तब तक विकास के लिए अनुज्ञा मंजूर नहीं की जायेगी और पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना और पार्किंग स्थान उपलब्ध कराये बिना किसी भी भवन को अधिभोग में नहीं लिया जायेगा और पार्किंग स्थान के बिना किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा और भवन में पार्किंग स्थान उपलब्ध कराये बिना कोई भी स्थायी जल-संबंध अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। किसी भवन या भवनों के वर्ग को, भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करने के लिए, भी राज्य सरकार को सशक्त करना समुचित समझा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो वह ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा। तदनुसार, अधिनियम में एक नयी धारा 37-ख अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

प्राधिकरण के कार्यकरण पर राज्य सरकार का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए, एक नयी धारा 93-क को अन्त:स्थापित करना प्रस्तावित है ताकि प्राधिकरण और इसके अधिकारियों के संकल्पों या आदेशों के पुनरीक्षण की शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान की जा सकें।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, जो जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में एक नयी धारा 34-क अन्त:स्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर राज्य सरकार को, वह रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा जिससे किसी अप्राधिकृत विकास को सील किया जा सकेगा।

विधेयक का खण्ड 6, जो उपरोक्त अधिनियम में नयी धाराएं 37-क और 37-ख अन्त: स्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, राज्य सरकार को, जल संग्रहण प्रणाली और पार्किंग स्थल के प्रकार और विनिर्दिष्टिकरण विहित करने के लिए और वह रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा जिससे उन भवनों के संबंध में पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकेगा जिनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 37-क और 37-ख के अधीन जल संग्रहण प्रणाली और पार्किंग स्थान अनिवार्य है।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

(1982 **का अधिनियम सं** 25) **से लिये गये उद्धरण**

xx xx xx xx

31. अप्राधिकृत विकास या योजना के अनुरूप से अन्यथा उपयोग के लिए शास्ति.-(1) कोई व्यक्ति जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई विकास प्रारम्भ करता है, विकास का दायित्व लेता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि के उपयोग का ऐसा प्रारम्भ या परिवर्तन करता है जो -

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है; या

(ख) जो मंजूर की गयी किसी अनुज्ञा के अनुसरण में नहीं है या जो किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में है जिसके अध्यधीन ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गयी थी; या

(ग) विकास की अनुज्ञा का सम्यक् रूप से प्रतिसंहरण करने के पश्चात् किया जाता है; या

(घ) उस अनुज्ञा के उल्लंघन में है जिसका सम्यक् रूप से उपान्तरण किया गया है;

दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने के दौरान ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रति दिन एक सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो धारा 17 के अधीन ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किए गए बिना किसी योजना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भवन या भूमि का उपयोग जारी रखता है या अनुज्ञात करता है या जहां ऐसे उपयोग को जारी रखना उस धारा के अधीन अनुज्ञात किए जाने पर ऐसा उपयोग उस कालावधि के पश्चात् भी जारी रहता है जिसके लिए यह अनुज्ञात किया गया था या उन निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन किए बिना जिनके अधीन ऐसे उपयोग का जारी रखना अनुज्ञात किया गया है, उसका उपयोग जारी रखता है तो दोषसिद्धि पर उसे ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा; और अपराध जारी रहने के दौरान उसे ऐसे जुर्माने से और दण्डित किया

जाएगा जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रति दिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

32. अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति-

(1) **से (**6) XX XX XX XX

(7) उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजित कोई व्यक्ति दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा; और अपराध जारी रहने के दौरान इस प्रकार जारी रखने के लिए दोषसिद्धि पर उसे ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम बार के अपराध के पश्चात् प्रतिदिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

33. अप्राधिकृत विकास रोकने की शक्ति.- (1) XX XX XX XX XX XX

(2) कोई भी व्यक्ति जो ऐेसे नोटिस के तामील हो जाने के पश्चात् चाहे अपने लिए या चाहे स्वामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भूमि का विकास जारी रखता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जावेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और यदि उसका अनुपालन न करना जारी रखा जाता है तो वह ऐसे और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा जो नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् भी अनुपालन न किये जाने या अनुपालन न करना जारी रखे जाने के दौरान प्रति दिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(3) से (5) XX XX XX XX XX XX XX XX XX

72**. सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण या बाधा.-**(1) जो कोई भी ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान प्राधिकरण का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, अधिक्रमण करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगादण्डित किया जायेगा:

परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, एक मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई भी ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान प्राधिकरण का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, बाधा उत्पन्न करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(3) XX XX XX XX

(4) इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत न होते हुए जो कोई भी पूर्वोक्त किसी भी भूमि या स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री हटाता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(5) से (13) XX XX XX XX

(14) इस धारा के अधीन दण्डनीय अधिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विशेष रूप से न्यस्त जो कोई भी प्राधिकरण का कर्मचारी ऐसे अधिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोकने में जान-बूझकरजानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर कर लोप करता है, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के सिवाय ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(15) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

राजस्थान विधान सभा

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 **को और संशोधित करने के लिए विधेयक।**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

एच.आर. कुड़ी,
सचिव।

(शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 20 of 2010

THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

(Authorised English Translation)

Bill No. 20 of 2010

THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Jaipur Development Authority Act, 1982.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Jaipur Development Authority (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- In section 31 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) for the existing expression "with fine which may extend to five thousand rupees", the expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees" shall be substituted;

(ii) for the existing expression "one hundred", the expression "five hundred" shall be substituted; and

(iii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(b) after existing sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days.";

(c) in sub-section (2), -

(i) for the existing expression "with fine which may extend to two thousand rupees", the expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than five thousand rupees" shall be substituted;

(ii) for the existing expression "five hundred", the expression "one thousand" shall be substituted; and

(iii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted ; and

(d) after existing sub-section (2), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned

in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days.".

3. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- In section 32 of the principal Act,-

(a) in sub-section (7),-

(i) for the existing expression "with fine which may extend to five thousand rupees", the expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees" shall be substituted;

(ii) for the existing expression "five hundred", the expression "twenty five thousand" shall be substituted; and

(iii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted ; and

(b) after existing sub-section (7), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days.".

4. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- In section 33 of the principal Act,-

(a) in sub-section (2),-

(i) for the existing expression "with fine which may extend to five thousand", the

expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than thirty thousand rupees" shall be substituted; and

(ii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted ; and

(b) after existing sub-section (2), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days.".

5. Insertion of new section 34-A, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 34 and before the existing section 35 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"34-A. Power to seal unauthorized Development.- (1) The Authority may, at any time before or after making an order for the removal or discontinuance of any development under section 32 or section 33 or section 34, make an order directing the sealing of such development in the prescribed manner, for the purposes of carrying out the provisions of this Act, or for preventing any dispute as to the nature and extent of such Development.

(2) Where any development has been sealed, the Authority or the officer authorized by it in this behalf may for the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed.

(3) No Person shall remove such seal except,-

(a) under an order of the Authority or the officer authorized under sub-section (2); or

(b) under an order of the Tribunal.

(4) Any person who contravenes the provisions of sub-section (3) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to twenty five thousand rupees.".

6. Addition of sections 37-A and 37-B, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 37 of the principal Act, the following new sections shall be added, namely:-

"37-A. Provision of rain water harvesting.- (1) In every building constructed on a plot of land exceeding three hundred square metres in Jaipur region after the commencement of the Jaipur Development Authority (Amendment) Act, 2010 (Act No. …. of 2010), it shall be compulsory to install a rain water harvesting system of such type and specifications as may be prescribed by the State Government having regard to the area and use of the land and keep such system always in working condition:

Provided that if the State Government, having regard to the ground water level in a particular area, is of the opinion that installation of rain water harvesting system in such area is not appropriate, it may, by notification in the Official Gazette, exempt such area from the operation of the provisions of this section.

(2) The Authority shall not grant any permission for development required under the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder unless provision for rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been made in the site plan and maps and the person seeking permission undertakes to install such system and furnishes security for the same to the satisfaction of the Authority.

(3) Every owner of the building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that a rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been installed in the building and is operational.

(5) Any development of land in Jaipur region made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.

Explanation.- For the purposes of this section, 'rain water harvesting system' means any structure or apparatus or both, including roof top structure and under ground tank, constructed or installed to collect rain water either for

domestic use or for percolation into earth for the purpose of recharging ground water.

37-B. Provision of parking space.- (1) In every building constructed in Jaipur region after the commencement of the Jaipur Development Authority (Amendment) Act, 2010 (Act No. …. of 2010), it shall be compulsory to provide such parking space as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, having regard to the area of land and situation and use of building, exempt, by notification in the Official Gazette, any building or class of buildings from the provisions of this section.

(2) The Authority shall not grant any permission for development required under the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder unless provision for parking space as prescribed under sub-section (1) has been made in the site plan and maps and the person seeking permission undertakes to provide such parking space and furnishes security for the same to the satisfaction of the Authority.

(3) Every owner of the building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that parking space as prescribed under sub-section (1) has been provided in the building.

(5) Any development of land in Jaipur region made or continued in contravention of the provisions of this

section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.".

7. **Amendment of section 72, Rajasthan Act No. 25 of 1982.-** In section 72 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) for the existing expression "one month", wherever occurring, the expression "one year"; and

(ii) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "one Lakh rupees" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the existing expression "one month or with fine which may extend to two thousand rupees", the expression "one year or with fine which may extend to five thousand rupees" shall be substituted;

(c) in sub-section (4), for the existing expression "six months or with fine which may extend to ten thousand rupees", the expression "one year or with fine which may extend to twenty five thousand rupees" shall be substituted; and

(d) in sub-section (14), for the existing expression "one month or with fine which may extend to one thousand rupees", the expression "one year or with fine which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.

8. Insertion of new section 93-A, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 93 and before the existing section 94 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"93-A. Power to call for records.-(1) The State Government or any officer not below the rank of the Secretary to the Government authorized in this behalf by the State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed, under this Act by the Authority or any committee or officer of it, call for the relevant record, and may, in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-section (2) :

Provided that no record relating to an order or a resolution shall be called for under this sub-section after the expiry of three years from the date of such order or resolution.

(2) After examining the record, the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Authority and on its officers and committees.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

For the efficient working of the Jaipur Development Authority certain provisions of the Jaipur Development Act, 1982 are required to be amended.

In the present circumstances to prevent the unauthorized use of the public and private lands the existing provisions relating to these offences require to be amended. Therefore, penalties and sentences are proposed to be enhanced in existing sections 31, 32, 33 and 72. Where minimum punishment has been provided a discretion has been given to the court to impose a punishment lesser than the minimum provided punishment for adequate or special reasons to be recorded in the judgment.

Unauthorized constructions are rampant in the area of Jaipur Development Authority. Despite the orders of the Jaipur Development Authority to stop unauthorized constructions they are continued. To combat with this problem a bi-forked policy is proposed to be adopted. Accordingly a new section 34-A is proposed to be inserted in the Act so as to empower the Authority to seal the ongoing unauthorized constructions, on one hand and on other hand section 31 is proposed to be amended so as to enhance the existing punishment.

The State Government has felt that due to continued short fall of rain in the State there is acute shortage of water therefore ground water level has decreased considerably, hence it is necessary to adopt measures for harvesting of rain water by installing water harvesting system. Therefore, it is proposed that in every building constructed on a plot of area exceeding three hundred square metres water harvesting system should be compulsorily installed having regard to the area and use of land. It is also considered appropriate to empower the State Government to exempt a particular area from installing water harvesting system which, in the opinion of the State, is not appropriate for such system having regard to the ground water level. If any person fails to install such system, he shall be punished with imprisonment

which may extend to seven days or with fine which may extend to one lakh rupees or with both. Apart from this, it is also proposed that without obtaining completion certificate and installation of such system no permanent water connection shall be permitted. Accordingly a new section 37-A is proposed to be inserted in the Act.

It is the general tendency of owners of buildings not to provide required parking space in a building. Therefore, It is proposed that unless provision for parking space has been made in site plan and maps, permission for development shall not be granted and no building shall be occupied without obtaining completion certificate and without providing parking space and any development made or continued without parking space shall deemed to be an unauthorized development and no permanent water connection shall be permitted in building without providing parking space. It is also considered appropriate to empower the State Government to exempt any building or class of buildings from providing parking space having regard to the area of land and location and use of building. If any person fails to provide parking space, he shall be punished with imprisonment which may extend to seven days or with fine which may extend to one lakh rupees or with both. Accordingly, a new section 37-B is proposed to be inserted in the Act.

To ensure supervision of the State Government over the functioning of the Authority, it is proposed to insert a new section 93-A so as to give State Government powers of revision of the resolutions or orders of the Authority and officers thereof.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शांति धारीवाल,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill, which seeks to insert a new section 34-A in the Jaipur Development Authority Act, 1982, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the manner in which an unauthorized development may be sealed.

Clause 6 of the Bill, which seeks to insert new sections 37-A and 37-B in the aforesaid Act, if enacted, shall empower the State Government to prescribe type and specifications of rain water harvesting system, and the parking space and the manner in which completion certificate shall be obtained with regard to the buildings for which installation of rain water harvesting system and provision of parking space is compulsory under the aforesaid sections 37-A and 37-B.

The delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

शांति धारीवाल,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1982

(Act No. 25 of 1982)

XX XX XX XX

31. Penalty for unauthorised development or for use otherwise than in conformity with the Plan.- (1) Any person who, whether at his own instance or at the instance of any other person commences, undertakes or carries out development or institutes, or changes the use of any land-

(a) without permission required under this Act; or

(b) which is not in accordance with any permission granted or in contravention of any condition subject to which such permission has been granted ; or

(c) after the permission for development has been duly revoked; or

(d) in contravention of any permission which has been duly modified;

shall, on conviction , be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the offence continues after conviction for the first commission of the offence.

(2) Any person who continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of a Plan without being allowed to do so under section 17 or where the continuance of such use has been allowed under that section continues such use after the period for which the use has been allowed or without complying with the terms and conditions under which the continuance of such use is allowed, shall, on conviction be punished with fine which may extend to two thousand rupees; and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

32. Power to require removal of un-authorised development .- (1) to (6) XX XX XX XX

(7) Any person prosecuted under clause (a) of sub-section (6) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees; and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

33. Power to stop un-authorised development.- (1) XX XX XX XX

(2) Any person, who continues to carry out the development of land, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees; and when the non- compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.

(3) to (5) XX XX XX XX XX XX XX XX

72. Encroachment or obstruction upon public land.- (1) Whoever makes any encroachment in any land or space not being private property, whether such land or space belongs to or vests in the Authority or not, except steps over drain in any public street shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees:

Provided that the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month.

(2) Whoever makes any obstruction in any land or space not being private property, whether such land or space belongs to or vests in the Authority or not, except steps over drain in any public street shall on conviction be punished with simple

imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

(3) XX XX XX XX

(4) Whoever not being duly authorised in that behalf removes earth, sand or other material from any land or space as aforesaid, shall be punished on conviction with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

(5) to (13) XX XX XX XX

(14) Whoever, being an employee of the Authority, specifically entrusted with the duty to stop or prevent the encroachment or obstruction punishable under this section, wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such encroachment or obstruction, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both:

Provided that no court shall take cognizance against employee for the offence punishable under this sub-section except with the previous sanction of the Authority.

(15) XX XX XX XX

XX XX XX XX

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Jaipur Development Authority Act, 1982.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(SHANTI DHARIWAL, **Minister-Incharge**)